www.kirannewsagency.com or www.knaeshop.com

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश
26-किसन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

क्रमांक/संपेंभनिबी/ स्था/2017/2361 **भोपाल, दिनांक: 08/12/2017**

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित 'मध्यप्रदेश' सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017'' में निहित प्रावधान अनसार संचालनालय पेंशन, भविष्य, निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश, भोपाल तथा संभागीय/ जिला पेंशन कार्यालयों में सीधी भर्ती के संविदा अधार पर स्वीकृत सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री आपरेटर) तथा भृत्य की भर्ती हेतु उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 23/12/2017 को सांय 5.00 बजे** तक निर्धारित की जाती है।

(एक) पदों की संख्या एवं आरक्षणक –

(अ) संविदा सहायक प्रोग्रामर के दो पद रक्त हैं जिसमें एक पद अनारक्षित एवं एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

(ब) संविदा सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री आपरेटर) के कुल 53 पद रिक्त है जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपुर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	05	04	02	20	निःशक्तजनों की कुल 05 रिक्तियों में से 02 पद श्रवणबाधित, 3 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	05	02	-	09	
3.	अनसूचित जनजाति (ST)	14	06	02	-	22	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	02	-	02	
	योग	25	16	10	02	53	

(स) संविदा भृत्य के कुल 150 पद रिक्त है जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपुर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	37	19	15	04	75	निःशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवणबाधित, 05 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	12	06	05	01	24	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	15	07	06	02	30	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	11	05	04	01	21	
	योग	75	37	30	08	150	

नोट :- आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

पद की सेवा शर्ते नियम :-

(दो) न्युनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं -

(अ) सहायक प्रोग्रामर (संविदा नियुक्ति रु. 18800/-प्र.मा. नियत वेतन)

कम्प्यूटर विषय में बी.ई./बी.टे /बी.सी.ए./ बी.एससी. इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित।

टीप :- सभी संबंधित उपाधि (डिग्री) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था की होना चाहिये। कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का ज्ञान आवश्यक है।

(ब) सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री आपरेटर) (संविदा नियुक्ति रु. 15200/- प्र.मा. नियत वेतन)

हायर सेकेन्ड्री सर्टिफिकेट (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए। (MAP-IT) द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) Score Card जिसमें हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रतिमिनिट होना अनिवार्य है।

निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :-

1. Diploma From all Universities Recognized by UGC.
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.
5. Certificate in " Computer Operator and Programming Assistant" (COPA) from Govt. ITI.
6. B.E. (CSE/IT)/ M.C.A./ B.C.A/ M.Sc. (IT/CS).
7. Polytechnic Diploma in computer Science/ Computer application and information technology from A.I.C.T.E.
8. One Year Certificate in "Computer Operator and Programming Assistant" (COPA) provided by " National Council for Vocational Training' (N.C.V.T) or " State Council for Vocational Training' (S.C.V.T.)

(स) भृत्य (संविदा नियुक्ति रु. 11800/- प्र.मा. नियत वेतन)

आठवीं बोर्ड स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो। मल्टी स्किल्ड अभ्यार्थियों को वरीयता दी जावगी।

(तीन) नियम एवं शर्ते :-

1. विज्ञापन की तिथि पर आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की अधिकतम आयु सीा 45 वर्ष होनी चाहिये।
2. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मूल निवासी के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे।
3. सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे।
4. आवेदक/ आवेदिका को म.प्र. के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, जो कि विज्ञापन प्रसारित होने के दिनांक से पहले का होना चाहिए।
5. यदि किसी पद हेतु महिला उम्मीदवार योग्य नहीं पायी जातीहै तो ऐसे पद उसी वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।
6. यदि आवेदक किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत है तो अपने आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
7. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति तथा नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो संलग्न किया जावे।
8. यदि कोई उम्मीदुवार जिसने न्यूनतम आयु (18 वर्ष) के पूर्व विवाह कर लिया हो तो वह भर्ती के लिये पात्र नहीं होगा। यद अभ्यर्थी क 2 से अधिक संताने हैं, जिनमें से अंतिम संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हुआ है ते उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
9. प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. निर्धारित प्रारूप में टंकित आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से बन्द लिफाफे में संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, 26- किसान भवन, मण्डी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011 के पते पर दिनांक 23/12/2017 सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किए जावेगे। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हीं किया जाकर उन्हें निरस्त किया जाएगा। डाक में होने वाले विलम्ब/ गुम होने अथवा डाक में कटने-फटने पर पेंशन संचालनालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होग। निर्धारित अंतिम तिथि/ समय तक आवेदन पत्र संचालनालय को प्राप्त हो जाए यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। लिफाफे के ऊपर ''.............................. के पद हेतु आवेदन पत्र' अंकित किया जावे।
11. उपलब्ध रिक्त पदों (तृतीय श्रेणी) की तुलना में यदि आवेदनों की संख्या अधिक होगी तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी का या अधिकार होगा कि उम्मीदवारों की संख्या को साक्षात्कार तथा शैक्षणि योग्यता/ अन्य योग्यता/ कार्यानुभव के आधार पर सीमित कर सकें। शासन निर्देशानुसार विशेष आदिम जाति यथा बैग, भारिया एवं सहरिया जनजाति के उम्मीदवारों को साक्षात्कार से मुक्त रखा जाएगा।
12. नियुक्ति के पूर्व चयनित उम्मीदवारों का चारित्रिक सत्यापन एवं शैक्षणित योग्यता व अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच मूल अभिलेखों से की जायेगी। मूल अंक सूचियां/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर नियुक्ति पत्र जार नहीं किया जा सकेगा।
13. पदस्थापना मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में की जा सकती है।
14. आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने अथवा पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध होने की स्थिति में उसका पूर्ण विरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे।
15. चयनित होने पर उम्मीदवार को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा एवं अनुबंध पत्र निष्पादित करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का अधिकार नियुक्तिकर्त प्राधिकारी को होगा।
16. संविदा नियुक्ति की अवधि प्रथमतः 1 वर्ष के लिये होगी, जिसे कर्मचारी के संतोषजनक कार्य एवं व्यवहार ठीक होने की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकेगा।

हस्ता.
संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. भोपाल

www.kirannewsagency.com or www.knaeshop.com www.kirannewsagency.com or www.knaeshop.com